.... ऑनलाईन नं. ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की ता...
10.12.21	पत्रावली पेश। वकील पक्षकारगण उप.। पुन: कथन अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई। चूँकि द्वारा पत्रावली का अवलोकन से उल्लेखित किया गया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, खसरा रेकार्ड, जमाबन्दी सं.वत, जमाबन्दी नकल, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र U/S 251 क स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा. पत्रा. किया जावेगा। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	

निर्णय बइजलास श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 14 / 2023

तारीख दायरा 27.03.2023

उनवान

1. मुकेश कुमार पुत्र रामेश्वर जाति महाजन निवासी सांगोद।
2. राधेश्याम पुत्र गोबरीलाल जाति महाजन निवासी सांगोद। –प्रार्थीगण

बनाम

1. हरिप्रसाद पुत्र मदनलाल जाति मेहन निवासी जोल्पा रोड जवाहर पब्लिक स्कूल के पास सांगोद।
2. पन्नालाल पुत्र ग्यारसीलाल जाति माली निवासी कोलियों का बड के पास सांगोद।
3. मृतक कस्तूरी बाई पत्नि रामनारायण जाति मेहर निवासी जोल्पा रोड जवाहर पब्लिक स्कूल के पास सांगोद जरिये कायम मुकामान –

(A). हेमराज पुत्र रामनारायण जाति मेहर निवासी जोल्पा रोड जवाहर पब्लिक स्कूल के पास सांगोद

(B). शिवराज पुत्र रामनारायण जाति मेहर निवासी म.न. 25 गली न.6 सरस्वती कोलोनी बारां रोड कोटा जिला कोटा।

(C). मृतक भवानीशंकर पुत्र रामनारायण जाति मेहर निवासी कस्बा सांगोद जरिये कायम मुकामान –

(A). शांति बाई पत्नि भवानीशंकर जाति मेहर निवासी ग्राम चतरपुरा हाल निवासी लटूर जी की बाडी बडा फिल्ड सांगोद तहसील सांगोद।

(B). भरत पुत्र भवानीशंकर जाति मेहर निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद।

(C). महेश पुत्र भवानीशंकर जाति मेहर निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगोद।

(D). राकेश पुत्री भवानीशंकर पत्नि नरेन्द्र कुमार जाति निवासी स्टेशन रोड मण्डी के सामने अन्ता जिला बारां।

(E). गीता बाई पुत्री भवानीशंकर पत्नि महावीर जाति मेहर निवासी खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

(F). मोहनी पुत्री भवानीशंकर पत्नि घनश्याम जाति मेहर निवासी ग्राम हींगी तहसील

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

Scanned with OKEN Scanner

सांगोद।

(G). चन्दकलां पुत्री भवानीशंकर पत्नि महावीर जाति मेहर निवासी गोल्याहेडी कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा।

4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :—

श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता (वकील प्रार्थीगण) दिनांक :— 10/12/2024

श्री बाबूलाल अरविन्द (वकील अप्रार्थी सं.1 ता 2)

श्री अब्दुल वहीद असांरी (वकील अप्रार्थी सं. (A) ता (C))

——निर्णय——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि माल ग्राम टोंक तहसील सांगोद में प्रार्थी मुकेश कुमार के नाम ख.न. 133 की 1.44 है. आराजी एवं प्रार्थी राधेश्याम की ख.न. 135 की 1.27 है. आराजी एक चक के रूप में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त वर्णित आराजी को अपने पित गोबरीलाल के समय से प्रार्थीगण काश्त करते चले आ रहे हैं तथा उक्त आराजी में प्रार्थीगण हमेशा से सोरसन रोड से होकर ख.न. 138, ख.न. 134/245 की दक्षिणी मेर पर होकर ख.न. 134/245, 124, 125 के बीच मेर से होकर ख.न. 132 में निकल रहे हैं। उक्त रास्ते से प्रार्थीगण भी आने खेत में ख.न. 134, 134/245 एवं 125 की मेर से होकर ख.न. 133, 135 में जा रहे हैं। उक्त रास्ते को प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से ही काम लेते आ रहे हैं। परन्तु इस वर्ष ख.न. 134, 134/245 एवं ख.न. 125 के खातेदारों द्वारा उत्तर पश्चिम मेड पर तार की जाली लगाकर रास्ता बंद कर दिया है। इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि माल टोंक के ख.न. 133 एवं 135 की आराजी में सोरसन रोड से होकर

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद, जिला- कोटा

Scanned with OKEN Scanner

ख.न. 138 की ख.न. 134/245 की दक्षिणी मेर पर होकर ख.न. 134/245, 124, 125 के बीच मेर से होकर ख.न. 132 में से निकल रहा है, जिसे अप्रार्थीगण द्वारा तार की जाली लगाकर बंद कर दिया है, को खुला कर 12 फुट चौडाई का रास्ता खुलासा कराकर रास्ता प्रदान करने की कृपा करें।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल अरविन्द द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त की गई। मृतक कस्तूरी बाई एवं भवानीशंकर के वारिसान की ओर से अधिवक्ता श्री अब्दुल वहीद अंसारी द्वारा भी प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर आपत्ति व्यक्त की गई। प्रकरण में अप्रार्थी सं (D) ता (H) बावजूद सूचना न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहे। जवाब सरकार प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार मौके पर उपलब्ध रास्ते का प्रवेश सोरसन रोड से ख.न. 124 तक की भूमि माल ग्राम सांगोद की ख.न. 323 व 299 गै.मु. खाल खद्दर है जो कि स्थानीय निकाय नगर पालिका सांगोद के खाते दर्ज है तथा रास्ते के रूप में उपयोग ली जा रही है। माल ग्राम टोंक के अन्य ख.न. तक रास्ता मेडों के बीच में होकर निकल रहा है। वर्तमान में प्रार्थीगण की आराजी ख.न. 133 में जाने का रास्ता ख.न. 134, 134/245 की उत्तर पश्चिमी मेड पर तार की जाली लगी होने से बंद है। ख.न. 134 के पश्चिम में 12 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई का रास्ते हेतु 48 वर्ग मीटर भूमि तथा ख.न. 134/245 के उत्तर पश्चिम में 30 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई के रास्ते हेतु 120 वर्ग मीटर भूमि अर्थात कुल 168 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में उपयोग आयेगी तथा विवादित आराजी की डी.एल.सी. दर 676736/— रूपये प्रति 0.16 हैक्टर है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीगण के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये, इसके उपरान्त पत्रावली बहस में नियत की गई। अधिवक्ता दौराने बहस प्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया।

मेरे द्वारा बहस उभय पक्षकारान सुनी गई एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, जवाब प्रार्थना पत्र, जवाब सरकार, मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर स्पष्ट होता है कि ख.न. 133 की आराजी तक जाने हेतु ख.न. 134, 134/245 की उत्तर पश्चिमी मेड से मार्ग उपलब्ध है तथा अप्रार्थीगण द्वारा मार्ग को तार की जाली लगाकर बंद कर दिया गया है। प्राथीगण की आराजी पर पहुँच हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं होने के कारण

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
साँगोद, जिला- कोटा

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि –

माल ग्राम टोंक तहसील सांगोद की ख.न. 134 के पश्चिम में 12 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई का रास्ते हेतु 48 वर्ग मीटर भूमि तथा ख.न. 134/245 के उत्तर पश्चिम में 30 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौडाई के रास्ते हेतु 120 वर्ग मीटर भूमि अर्थात कुल 168 वर्ग मीटर भूमि रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने हेतु आदेश दिये जाते हैं। उक्त भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु ख.न. 133 की आराजी में से 48 वर्ग मीटर भूमि का रकबा कम करते हुए ख.न. 134 में बढाया जावे तथा इसी प्रकार ख.न. 133 की आराजी में से 120 वर्ग मीटर भूमि का रकबा कम करते हुए ख.न. 134/245 में बढाया जावे। उक्त घोषणा के क्रम में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। विवादित आराजी पर रहन भार होने की स्थिति में बैंक चार्ज प्रथम होने के कारण रहन भार मूल खातेदार पर यथावत रहेगा। व्यय प्रार्थना पत्र पक्षकारान स्वयं वहन करें।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 10/12/2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

Scanned with OKEN Scanner